'9' (11)

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 14-16/2012/56 भोपाल, दिनांक20/10 /2014

प्रति,

1- शासन के समस्त विभाग,
2- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.,ग्वालियर ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष,
4- समस्त संभागायुक्त,
5- समस्त जिला कलेक्टर,
6- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,

मध्यप्रदेश ।

विषय: शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) आयोजित किये जाने के संबंध में।

राज्य शासन एतद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/ नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) आयोजित किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित करता है :-

(1)दक्षता परीक्षा प्रत्येक 6 माह में एक बार प्रदेश के विभिन्न चयनित नगरों में आयोजित होगी। यह परीक्षा पूर्णतः ऑनलाईन होगी अर्थात परीक्षा के लिए आवेदन करने से लेकर परीक्षा देने एवं प्रमाण-पत्र जारी करने तक की सारी कार्यवाही ऑनलाईन सम्पन्न की जायेगी।

17/10/14

(12)

उक्त परीक्षा शासकीय कार्यालयों/ विभागों में संविदा/ नियमित आधार पर नियुक्त किये जाने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर-सह-कार्यालय सहायक के लिए आयोजित की जायेगी। विभाग अपनी आवश्यकतानुसार पात्रता परीक्षा के स्कोर कार्ड को इन पदों पर नियुक्ति की आर्हता के रूप में उपयोग कर सकेंगे।

(2) वे विभाग जिनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर/ कार्यालय सहायक/ समकक्ष योग्यता धारी लिपिकों की भर्ती हेतु पृथक भर्ती नियम नहीं है, वे CPCT परीक्षा के माध्यम से अर्ह Score Card धारी आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित चयन प्रक्रिया के द्वारा पात्र आवेदकों का चयन कर सकेंगे। इस स्थिति में CPCT Score Card के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कम्प्यूटर/आईटी से संबंधित अर्हता आवश्यकता नहीं होगी ।

(3) वे विभाग जिनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर/ कार्यालय सहायक/ समकक्ष योग्यता धारी लिपिकों की भर्ती हेतु पृथक भर्ती नियम है, वहाँ पूर्व से प्रचलित कम्प्यूटर/ आईटी अर्हता के स्थान पर CPCT Score Card व्यवस्था लागू की जायेगी। भर्ती संबंधी शेष अर्हताऐं यथावत ही रहेंगी।

(4) परीक्षा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की होगी। व्यवहारिक परीक्षा के अंतर्गत हिन्दी व अंग्रेजी की टाईपिंग परीक्षा आयोजित की जायेगी। दोनों को मिलाकर अभ्यार्थी का उत्तीर्णता प्रतिशत तय किया जायेगा। इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी की आई.टी. दक्षताओं को केवल कम्प्यूटर टाईपिंग एवं इन्टरनेट जानने से कहीं आगे बढ़कर सामान्य एवं समग्र आई.टी. दक्षता को मापा जायेगा। परीक्षा में निम्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे :-

- कम्प्यूटर परिचालन का आधारभूत ज्ञान।
- कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का बेसिक ज्ञान।
- आई.टी. की सामान्य दक्षताओं (नेटवर्किंग, इन्टरनेट आदि) का ज्ञान।

17/10/14

(13)

- कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता (हिन्दी अथवा अंग्रेजी या दोनों) स्कोर कार्ड में अभ्यर्थी की हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाओं में यथा स्थिति कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता का उल्लेख स्कोर कार्ड में किया जायेगा।
- बोधात्मक कौशल का परीक्षण (Comprehension Skills).
- गणितीय/तार्किक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान।

(5) मेरिट के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को एक CPCT स्कोर कार्ड प्रदान किया जायेगा। मेरिट का निर्धारण न्यूनतम कट-ऑफ के आधार पर किया जायेगा। परीक्षा में अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह कार्ड अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने से अधिकतम दो वर्ष तक वैध होगा अर्थात उक्त कार्ड का उपयोग मध्यप्रदेश में किसी भी शासकीय विभाग/कार्यालय में आवेदन करते समय उक्त अवधि के लिए लिया जा सकेगा ।

(6) किसी एक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के अवसरों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। नियत योग्यता का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार परीक्षा में बैठ सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रतिशतों में सुधार के लिए पश्चातवर्ती परीक्षाओं में बैठना चाहे तो उसे अनुमति होगी। परीक्षा में अनुतीर्ण अभ्यर्थी भी 06 माह पश्चात आयोजित परीक्षा में पुन: सम्मिलित हो सकेगा।

(7) परीक्षा के अभ्यर्थियों का परिणाम तथा उनका विवरण ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार नियुक्ति की स्थिति में विभाग CPCT स्कोर कार्ड का ऑनलाईन सत्यापन कर सकेंगे।

(8) परीक्षा आयोजन संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए म.प्र. एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (मैप-आई.टी.) नोडल एजेन्सी होगी । परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, नियम, अर्हताऐं एवं शर्तें म.प्र. एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (मैप-आई.टी.) द्वारा निर्धारित की जायेगी।

17/10/14

(9) यह सम्पूर्ण योजना स्ववित्त पोषित होगी एवं इसके लिए राज्य शासन पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं होगा। CPCT संबंधी समस्त व्यवस्थाऐं अभ्यर्थियों से प्राप्त की जाने वाली फीस के माध्यम से ही पूर्ण की जायेंगी। आवेदन फीस का निर्धारण सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा।

(10) जिस भी विभाग/कार्यालय को लिपिक-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की आवश्यकता होगी अथवा किसी अन्य पद के लिए आधारभूत आई.टी. दक्षता की आवश्यकता होगी, वह आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय CPCT स्कोर कार्ड को अनिवार्य अर्हता के रूप में सम्मिलित कर सकेगा। विभागों द्वारा आई.टी. दक्षता के परीक्षण के लिए पृथक से परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी, क्योंकि यह स्कोर कार्ड इस बात का प्रमाण होगा कि अभ्यर्थी आई.टी. की वह न्यूनतम दक्षता रखता है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर-सह-कार्यालय सहायक पद के लिए शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक है।

(11) इस परीक्षा के आयोजन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि अन्य सभी कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों का कोई महत्व नहीं रह जायेगा अथवा उन्हें ज्वाईन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थियों द्वारा किसी कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रम में अध्ययन करने पर ही, उन्हें इस प्रस्तावित परीक्षा में अपनी दक्षता एवं ज्ञान को सिद्ध करने का बेहतर अवसर मिलेगा। इस परीक्षा का उद्देश्य मात्र यह जानना एवं प्रमाणित करना है कि किसी अभ्यर्थी विशेष में मध्यप्रदेश शासन के कार्यालयों एवं एजेन्सियों के कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप आई.टी. दक्षता है अथवा नहीं। निजी क्षेत्र एवं शासकीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों में कम्प्यूटर विषयक ज्ञान प्राप्त करते बाबत समस्त विकल्प अभ्यर्थियों के लिए पूर्ववत उपलब्ध रहेंगे।

17/10/14

(12) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 01/07/2013 को जारी आदेश में शासकीय सेवा में सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर भर्ती हेतु परिपत्र की कंडिका-3 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

"सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर" के पदों पर सीधी भरती हेतु व्यापम से 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण होने के साथ-साथ निम्नांकित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :-

1- यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

2- यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

3- डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।

4- शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।

5- शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं असिस्टेंट "(COPA) प्रमाण-पत्र।" नवीन दक्षता परीक्षा को लागू करने की स्थिति में उपरोक्त परिपत्र की प्रश्नाधीन कंडिका-3 को नवीन पद्धति अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संशोधित किया जाएगा।

3/ उक्त व्यवस्था लागू होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2013/1/3, दिनांक 01 जुलाई,2013 में वर्णित अनुसार मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो जावेगी, किन्तु मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा / सर्टिफिकेट उत्तीर्ण पद की अर्हतानुसार अनिवार्य होगा । उक्त के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उनके परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2013 में संशोधन किया जायेगा ।

17/10/14

4/ उक्त प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए उपयुक्त एजेन्सी का चयन करने के लिए प्रशासकीय विभाग अधिकृत होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

17/10/14

(सुधीर कुमार कोचर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 14-16/2012/56 भोपाल, दिनांक 20/10/2014

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव,महामहिम राज्यपाल,राजभवन, मध्यप्रदेश,भोपाल ।
2- प्रमुख सचिव,मान.मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3- माननीय मंत्री जी /राज्यमंत्री के निज सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4- प्रमुख सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
5- अध्यक्ष,म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल,भोपाल ।
6- महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश , भोपाल ।
7- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,भोपाल ।
8- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
9- सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश,भोपाल ।
10- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,इन्दौर ।
11- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग,म.प्र.,भोपाल ।
12- महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ,जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
13- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
14- आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश ।

(17)

15- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम,भोपाल ।

16- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,मैप आई.टी., भोपाल ।

17- मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाइन, होशंगाबाद रोड भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

17/10/14

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-15/2014/1/3, भोपाल, दिनांक 26 फरवरी, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः-शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT के स्कोर कार्ड की अनिवार्यता।

संदर्भः-(1) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. सी 3-8/2013/1/3, दिनांक 01.07.2013.

(2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का परिपत्र. क्र. 14-16/2012/56, दिनांक 20.10.2014.

--0--

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2013 द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया था। **उक्त प्रावधान को संशोधित करते हुए व्यापम के स्थान पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) को मान्य किया जाता है।**

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नांकित संस्थाओं से एकवर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है :-

1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
4. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकववर्षीय ''कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट'' (COPA) प्रमाण पत्र।

3/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उक्त CPCT परीक्षा के आयोजन हेतु विस्तृत निर्देश उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 20.10.2014 द्वारा जारी किये गये है।

(i) मेरिट के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को एक CPCT स्कोर कॉर्ड प्रदान किया जाएगा। मेरिट का निर्धारण न्यूनतम कट-ऑफ के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह कार्ड अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने से अधिकतम दो वर्ष तक वैध होगा अर्थात् उक्त कार्ड का उपयोग मध्यप्रदेश में किसी भी शासकीय विभाग/कार्यालय में आवेदन करते समय उक्त अवधि के लिए लिया जा सकेगा।

(ii) किसी एक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के अवसरों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, नियत योग्यता का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार परीक्षा में बैठ सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रतिशतों में सुधार के लिए पश्चात्वर्ती परीक्षाओं में बैठना चाहे तो उसे अनुमति होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी भी 6 माह पश्चात् आयोजित परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकेगा।

(iii) परीक्षा के अभ्यर्थियों का परिणाम तथा उनका विवरण ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार नियुक्ति की स्थिति में विभाग CPCT स्कोर कार्ड का ऑनलाईन सत्यापन कर सकेंगे।

(iv) परीक्षा आयोजन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया के लिए म.प्र. एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (मैप-आई.टी.) नोडल एजेन्सी होगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, नियम, अर्हताएं एवं शर्तें म.प्र. एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (मैप-आई.टी.) द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(v) विभिन्न विभागों के ऐसे पद, जिनके भरती नियमों में अनिवार्य योग्यता में कम्प्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, बल्कि कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे पदों के लिए CPCT परीक्षा के माध्यम से अर्ह Score Card धारित करना पर्याप्त होगा। ऐसे पदों के लिए CPCT Score Card के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कम्प्यूटर/आई.टी. से संबंधित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जिन विभागों में पदों के लिए भरती नियम नहीं है या संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भरती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पर भी उक्त व्यवस्था ही लागू होगी।

(vi) विभिन्न विभागों के डाटा एंट्री ऑपरेटर/आई.टी. ऑपरेटर/सहायक ग्रेड-3/ शीघ्रलेखक/स्टेनो टायपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पद, जिनके लिए भरती नियमों में कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है, उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट जिसका उल्लेख पैरा-2 में किया गया है, के अलावा CPCT Score Card धारित करना भी अनिवार्य होगा। शेष अर्हताएं यथावत् रहेंगी।

4/ विभागों द्वारा आई.टी. दक्षता के परीक्षण के लिए पृथक से परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी, क्योंकि यह स्कोर कार्ड इस बात का प्रमाण होगा कि अभ्यर्थी आई.टी. की वह न्यूनतम दक्षता रखता है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर- सह- कार्यालय सहायक पद के लिए शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक है।

5/ राज्य शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रमाणीकरण हेतु (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) परीक्षा ऑनलाईन आयोजित करने के लिए मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (मैप-आई.टी.) को अधिकृत किया जाता है।

6/ यह प्रावधान राज्य शासन के समस्त विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ निगम/मण्डल/बोर्ड/आयोग/विश्वविद्यालय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक सी 3-15/2014/1/3, भोपाल, दिनांक 26फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता,म.प्र.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
12. सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांक सी–3–15/2014/1–3 भोपाल, दिनांक 01-12-2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषयः– शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा **(computer proficiency certification test- cpct)** आयोजित होने की समयावधि में संशोधन ।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2015.

संदर्भित परिपत्र कमांक–सी–3–15/2014/1–3, दिनांक–26 फरवरी 2015 की कण्डिका 3 (।।) में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

" किसी एक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के अवसरों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है , नियत योग्यता का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार परीक्षा में बैठ सकता है । यदि कोई व्यक्ति अपने प्रतिशतों में सुधार के लिए पश्चात्वर्ती परीक्षाओं में बैठना चाहे तो उसे अनुमति होगी । परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी भी 6 माह पश्चात् आयोजित परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकेगा ।"

2——

2— राज्य शासन व्दारा उक्त कंडिका 3 (।।) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

" किसी भी अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के अवसरों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, नियत योग्यता का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार परीक्षा में बैठ सक्ता है । यदि कोई अभ्यर्थी अपने प्रतिशतों/ दक्षता में सुधार के लिए पश्चात्वर्ती परीक्षाओं में बैठना चाहे तो उसे इसकी अनुमति होगी । "

3— कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी0 बी0 पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन कमांक—सी—3—15/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 01-12-2016

प्रतिलिपि :—

1— राज्यपाल के सचिव, म0प्र0 राजभवन, भोपाल ।
2— महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल ।
3— रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 ,जबलपुर
4— प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, म0प्र0 ।
5— मा0 मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म0प्र0 ।
6— महानिदेशक,प्रशासन अकादमी, म0प्र0 भोपाल ।
7— अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ।
8— अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल ।
9— प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
10—प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।

11—मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल ।
12—सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन, भोपाल ।
13—सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14—सचिव, लोक सेवा आयोग म0प्र0 इन्दौर ।
15—मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0 ।
16—महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर ।
17—आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म0प्र0 भोपाल ।
18—समस्त जिला कोषालय अधिकारी ,म0प्र0 ।
19—मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल ।
20—अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
21—अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सी0बी0 पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक सी—3—15/2014/1—3 भोपाल, दिनांक 24.01.2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषयः— शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्यौगिकी / कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा **(computer proficiency certification test- cpct)** आयोजित होने की समयावधि में संशोधन ।

संदर्भः— इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2015.

———

संदर्भित परिपत्र क्रमांक—सी—3—15/2014/1—3, दिनांक—26 फरवरी 2015 व्दारा 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है । राज्य शासन व्दारा उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए अब कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा **(computer proficiency certification test - cpct)** में इंगलिश टायपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी टायपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनिट निर्धारित की जाती है ।

3— कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी0 बी0 पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन कमांक–सी–3–15/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 24-01-2017

प्रतिलिपि :–

1– राज्यपाल के सचिव, म0प्र0 राजभवन, भोपाल ।
2– महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल ।
3– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 ,जबलपुर
4– प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, म0प्र0 ।
5– मा0 मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म0प्र0 ।
6– महानिदेशक,प्रशासन अकादमी, म0प्र0 भोपाल ।
7– अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ।
8– अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, म0प्र0 भोपाल ।
9– प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
10–प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
11–मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल ।
12–सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन, भोपाल ।
13–सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14–सचिव, लोक सेवा आयोग म0प्र0 इन्दौर ।
15–मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0 ।
16–महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर ।
17–आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म0प्र0 भोपाल ।
18–समस्त जिला कोषालय अधिकारी ,म0प्र0 ।
19–मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल ।
20–अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
21– समस्त अध्यक्ष मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म0 प्र0 ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सी0बी0 पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्‍ य प्रशासन विभाग

2498/2015/41-2
27/8/15

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3- 07/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.

विषयः-कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भः-सा.प्र.वि. का परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2013/1/3, दिनांक 01.07.2013.

--0--

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सी 3-8/2013/1/3, दिनांक 01.07.2013 द्वारा सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर तथा इनके समकक्ष पदों पर सीधी भरती हेतु निम्नांकित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है :-

1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
4. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकववर्षीय ''कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट'' (COPA) प्रमाण पत्र।

2/ उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी :-

1. बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई. इत्यादि
2. ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नलाजी इत्यादि

26.8.15
MAP-IT-MPSEDC

क्रमांक 2286/41-2/2015
दिनांक 27.08.2015

3/ बी.एस.सी./बी.कॉम./डिग्रीयां जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।

4/ सभी विभाग/कार्यालय अपने भरती नियमों में भी उपरोक्त आधार पर समावेश करने की कार्यवाही करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के.कातिया)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक सी 3- 07/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2015

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता,म.प्र.उच्च न्यायालय,खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल।
18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप आई.टी. भोपाल।
19. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाईन, होशंगाबाद रोड़, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3–07/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 29 जून, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– कम्प्युटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (**Computer Proficiency Certification Test-CPCT**) हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारण के संबंध में।

सन्दर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक– सी–3–8/2013/1/3, दिनांक 01.07.2013 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक सी– 3–07/2015/1/3, दिनांक 18 अगस्त, 2015

सन्दर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। कम्प्युटर दक्षता एवं प्रमाणीकरण परीक्षा हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। विभागीय परिपत्र दिनांक 18.08.2015 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कम्प्युटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा(सीपीसीटी) हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा–10 वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी–3–07/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 29 जून, 2017

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, म0प्र0 राजभवन, भोपाल ।
2. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, म0प्र0।

निरन्तर......2

5. मान. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म0प्र0।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म0प्र0, भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव(स्थापना/अधीक्षण),मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0, भोपाल।
12. सचिव, म0प्र0 राज्य निर्वाचन, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर।
15. सचिव, म0प्र0 राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
16. सचिव, म0प्र0 मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0 शासन, भोपाल।
18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर ।
19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
20. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम, भोपाल।
21. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप आई.टी., भोपाल।
22. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाईन, होशंगाबाद रोड, भोपाल।
23. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
24. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
25. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
26. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म0प्र0 ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
विभाग, मंत्रालय

क्रमांकः एफ 3-1/2018/26-1 भोपाल, दिनांक 30.01.2018

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
3. समस्त संभागायुक्त,
4. सचिव,लोक सेवा आयोग,रेसीडेन्सी ऐरिया,इन्दौर,
5. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डला,भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप आई.टी.अरेरा हिल्स,भोपाल।
7. समस्त जिला कलेक्टर,
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय- दृष्टि बाधितों को वर्तमान में सी.पी.सी.टी.परीक्षा में अतिरिक्त समय देने एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डला द्वारा होने वाले परीक्षा मे लेखकों की व्यवस्था बावत्।

--0-

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांगजन विभाग भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक 16-110/2003-डीडी.III, दिनांक 26 फरवरी 2013 द्वारा जारी निर्देशों के पालन में सी0पी0सी0टी0 परीक्षा में दृष्टि बाधितों को अतिरिक्त समय देने एव व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा होने वाली परीक्षा में लेखकों की व्यवस्था के निर्देश जारी किय गये है, जो निम्नानुसार है :-

1. दिव्यांगजनों हेतु सम्पूर्ण देश की परीक्षा प्रणाली में एकरुपता होनी चाहिये,कार्य प्रणाली में दिव्यांगजनों की श्रेणी की महत्ता/आवश्यकतानुसार शिथिलता दी जा सकती है।
2. नियमित एवं प्रतियोगी परीक्षा में पृथक-पृथक मापदण्ड की आवश्यकता नही है।
3. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले परीक्षार्थियों हेतु लेखक/पाठ्क/प्रयोग शाला सहायक दिये जाने का प्रावधान भी है।
4. परीक्षार्थी स्वविवेक से लेखक/पाठ्क/प्रयोग शाला सहायक चुन सकता है या इस हेतु परीखा मण्डल से अनुरोध कर सकता है।
5. लेखक/पाठ्क/प्रयोग शाला सहायक शैक्षणिक योग्यता, अंक, उम्र आदि का बंधन नहीं रखा जायें।
6. लेखक/पाठ्क/प्रयोग शाला सहायक दिये जाने के संबंध में आवश्यकतानु-सार यदि विशेष प्रकरण हो तो परिवर्तन किया जा सकता है।
7. दिव्यांगता की श्रेणी अनुसार परीक्षार्थी ब्रेल में कम्प्यूटर के बड़े प्रिंट में रिकार्ड करके आदि में परीक्षा हेतु विकल्प चुन सकता है।

--2

8. परीक्षार्थी सुविधा अनुसार परीक्षा के एक दिन पहले कम्प्यूटर सिस्टम चैक कर सकता है, ताकि कम्प्यूटर में कोई साफ्टवेयर में बदलाव किया जाना हो तो नियमानुसार हो सकें।
9. परीक्षार्थी द्वारा लेखक के संबंध में विस्तृत जानकारी का उल्लेख परीक्षा का फार्म पूर्ति करते समय दिया जाना होगा।
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो सक्षम मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रदाय किया गया हो वह पूरे देश में मान्य होगा।
11. दिव्यागजनों हेतु परीक्षा में शब्द "**अतिरिक्त समय**" जो प्रचलन में है की जगह **प्रतिपूरक समय** का उपयोग किया जाये। परीक्षार्थी जो लेखक/पाठक/प्रयोग शाला सहायक की सुविधा ले रहे हो के लिये कम से कम 20 मिनट प्रति घण्टा प्रतिपूरक समय हो। समस्त दिव्यांग परीक्षार्थी जो लेखक की सुविधा नहीं ले रहे हो उन्हें 3 घण्टे की परीक्षा हेतु प्रतिपूरक समय 1 घण्टा कम से कम दिया जाये (प्रकरण की महत्ता अनुसार बदला जा सकता है)
12. दिव्यांग परीक्षार्थी नियमानुसार या पात्रतानुसार सहायक उपकरण या रीडिंग राईटिंग सामग्री का उपयोग कर सकते है।

भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में सी.पी.सी.टी. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं की एकरुपता राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बनी रहे। अतएवं राज्य सरकार प्रदेश में आयोजित परीक्षाओं में लागू किये जाने हेतु MAP-IT व्यापम, म0प्र0 लोक सेवा आयोग आदि परीक्षाओं में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरुप सुविधाये प्रदाय की जावेगी।

2/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 30.01.2018

पृ.क्र0: एफ 3-1/2018/26-1

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, महामहित राज्यपाल, राजभवन,म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी,मध्यप्रदेश भोपाल मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव(समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय,भोपाल।
4. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक,मध्यप्रदेश भोपाल।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,माध्यप्रदेश भोपाल।
6. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,भोपाल।
7. सचिव, लोकायुक्त,मध्यप्रदेश,भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्यप्रदेश भोपाल।

9. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता.म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
10. महालेखाकार ग्वालियर/भोपाल।
11. आयुक्त,उद्योग, विध्याचल भवन, भोपाल।
12. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय,मध्यप्रदेश भोपाल।
13. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, संचालनालय,भोपाल।
14. आयुक्त, निःशक्तजन,कम्युनिटी हॉल, न्यू मॉर्केट,टी0टी0नगर,भोपाल।
15. उप संचालक, विशेष रोजगार, कार्यालय, जबलपुर।
16. समस्त जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय,म.प्र.।
17. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
18. संचालनालय के वेबसाईड प्रभारी ।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:मंत्रालयः

क्रमांक सी 3–15/2014/1/3 भोपाल,दिनांक 24/7/ 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–. शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा **(computer proficiency certification test-CPCT)** के प्रमाण पत्र **(score card)** की वैद्यता अवधि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भः– 1–सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र0 सी 3–15/2014/1/3, दिनांक 26 फरवरी 2015.

2–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 14–7/2016/41–2, दिनांक 20–6–2019.

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा **(computer proficiency certification test-CPCT)** के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं ।

2– उक्त निर्देश की कंडिका 3 (1) में कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा **(computer proficiency certification test-CPCT)** के प्रमाण पत्र **(score card)** की वैद्यता अवधि दो (02) वर्ष निर्धारित की गई थी ।

3— राज्य शासन एतदद्वारा कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के प्रमाण पत्र (score card) की वैद्यता अवधि दो (02) वर्ष के स्थान पर चार (04) वर्ष निर्धारित की जाती है ।

4— यह व्यवस्था दिनांक 20.06.2019 के पश्चात् आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों (score card) पर लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार—

(सी.बी. पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रं0 सी 3—15/2014/1/3, भोपाल, दिनांक२५/7/2019

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2— अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
3— प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय,मध्यप्रदेश।
4— मान0 मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक,म0प्र0।
5— महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
6— रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
7— महानिदेशक प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
8— अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
9— अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल।
10— प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
12— मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।

13— सचिव, राज्य निर्वाचन, भोपाल।

14— सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।

15— सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इन्दौर।

16— सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य सूचना आयोग, भोपाल।

17— सचिव, मानव अधिकार आयोग, भोपाल।

18— मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

19— महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।

20— आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।

21— समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

22— मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।

23— अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपालं

24— अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 14-7/2016/41-2 भोपाल, दिनांक 23/3/2021

प्रति,

1- शासन के समस्त विभाग,
2- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.,ग्वालियर ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष,
4- समस्त संभागायुक्त,
5- समस्त जिला कलेक्टर,
6- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषय: शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ:- विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.14-16/2012/56, दिनांक 20/10/2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20-6-2019

विषयांतर्गत विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.14-16/2012/56, दिनांक 20/10/2014 द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/ नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) की प्रकिया निर्धारित करते हुए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि 02 वर्ष निर्धारित की गई थी।

2/ तत्पश्चात विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ.14-7/2016/41-2, दिनांक 20-6-2019 द्वारा कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि दो (02) वर्ष के स्थान पर चार (04) वर्ष निर्धारित की गई थी।

OIC - CPCT

3/ राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.14-7/2016/41-2, दिनांक 20.6.2019 को निरस्त करते हुये, पूर्व में जारी समस्त कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से सात (07) वर्ष निर्धारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.सेलवेन्द्रन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 14-7/2016/41-2 भोपाल, दिनांक 23/3/2021

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव,माननीय राज्यपाल,राजभवन, मध्यप्रदेश,भोपाल ।
2- प्रमुख सचिव,मान.मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3- माननीय मंत्री जी /राज्यमंत्री के निज सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4- प्रमुख सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
5- अध्यक्ष,म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ।
6- महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश , भोपाल ।
7- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,भोपाल ।
8- रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
9- सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश,भोपाल।
10- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,इन्दौर ।
11- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग,म.प्र.,भोपाल ।
12- महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ,जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
13- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
14- आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश ।
15- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम,भोपाल ।
16- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,मैप आई.टी., भोपाल ।
17- मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाइन, होशंगाबाद रोड भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

O/C - CPCT

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
: मंत्रालयः

क्रमांक सी 3–15/2014/1/3 भोपाल,दिनांक 17.09.2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–. शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्यौगिकी/कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के प्रमाण पत्र (score card) की वैद्यता अवधि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भः– 1–सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र0 सी 3–15/2014/1/3, दिनांक 26 फरवरी 2015.

2–सामाान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र दिनांक 24.7.2019

3–विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग का परिपत्र कमांक एफ 14–7/2016/41–2, दिनांक 23–3–2021

––––

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्यौगिकी/कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं ।

2– उक्त निर्देश की कंडिका 3 (1) में कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के प्रमाण पत्र (score card) की वैद्यता अवधि चार (04) वर्ष निर्धारित की गई थी ।

3— राज्य शासन एतद् द्वारा कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के प्रमाण पत्र (score card) (पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों सहित) की वैद्यता अवधि दो (02) वर्ष के स्थान पर सात (07) वर्ष निर्धारित की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार—

17/9/21

(दिशा प्रणय नागवंशी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 सी 3—15/2014/1/3, भोपाल, दिनांक 17.09.2021

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2— अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
3— प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय,मध्यप्रदेश।
4— उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5— मान0 मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक,म0प्र0।
6— महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
7— रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, ज़बलपुर।
8— महानिदेशक प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9— अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
10— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11— मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12— अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल।
13— प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

14— सचिव, राज्य निर्वाचन, भोपाल।

15— सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।

16— सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इन्दौर।

17— सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य सूचना आयोग, भोपाल।

18— सचिव, मानव अधिकार आयोग, भोपाल।

19— महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।

20— आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।

21— समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

22— मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।

23— अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपालं

24— अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

17/9/21

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

6.9.2021